

**वन विभाग, कार्यालय****वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद**


पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी०डब्ल्यू०डी० रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का०/फैक्स)

**Undertaking**

**Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, & 17.79 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana.**

Online Proposal No. -FP/HR/Canal/152229/2022.

यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।

  
वन मण्डल अधिकारी, (क्षे०)  
फतेहाबाद।



## वन विभाग, कार्यालय

### वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी०डब्ल्यू०डी० रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का०/फैक्स)

## Undertaking

**Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, & 17.79 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana.**

Online Proposal No. -FP/HR/Canal/152229/2022.

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-11 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. सी.ए. योजना के अनुसार Adampur Minor RD 0 to 20 L/R - Side, Banawali Minor RD 0 to 10 L/R - Side, Banmandori Distry RD 0 to 20 L/R - Side, Kheri Distry RD 48 to 58 L/R - Side, Fatehabad Branch RD 186 to 220 L/R - Side, Hizranwan Minor RD 0 to 13 L/R - Side, Sirsa Major Distry RD 0 to 30, L/R - Side, Rattakhera Distry RD 0 to 24 R/side, Rattakhera Disry RD 71 to 82 L/side, Fatehabad Branch abandoned RD 204 to 215 R/side, Kheri Distry RD 0 to 2 L/R - Side, Kundan Distry RD 40 to 65, L/R - Side, Manakpur Minor RD 30 to Tail, L/R - Side, Meerpur Minor RD 0 to 20 Tail L/R - Side, Rattakhera Distry RD 85 to 107, L/R - Side, Sarangpur Minor RD 0 to 20, L/R - Side जिला-फतेहाबाद पर सी.ए. का कार्य किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।
- v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
- vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।



## वन विभाग, कार्यालय

### वन मण्डल अधिकारी, फतेहाबाद वन मण्डल, फतेहाबाद

पुराना कोर्ट रोड, नजदीक पी०डब्ल्यू०डी० रेस्ट हाउस, फतेहाबाद-125050, फोन-01667-220313 (का०/कैक्स)

- vii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगी।
- viii. यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- ix. यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- x. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टॉफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xv. स्थानंतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे कर्म संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी सी०डब्ल्यू०एल०डब्ल्यू० / एन०वी०डब्ल्यू०एल० / एफ०ए०सी० / आर०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ ओवर पास उपलब्ध करवायेगी।
- xvii. यदि आवश्यक होगा तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xviii. कुड़ा कर्कट निपटान योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xix. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xx. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xxi. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।
- xxii. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

  
 Divisional Forest Officer  
 Fatehabad Forest Division  
 Fatehabad

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date : 10-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER ADAMPUR WATER SERVICES DIVISION HISAR
Application No.	74152229099
MoEF/SG File No.	9-HRC135-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Executive Engineer Adampur water services Division Hisar canal colony Hisar Hisar
Amount(In Rs)	75951395/-

Amount in Words : Seven Crore Fifty-Nine Lakh Fifty-One Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506974152229699 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds  
Date : 10-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER ADAMPUR WATER SERVICES DIVISION HISAR
Application No.	74152229099
MoEF/SG File No.	9-HRC135-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Executive Engineer Adampur water services Division Hisar canal colony Hisar Hisar
Amount(In Rs)	75951395/-

Amount in Words : Seven Crore Fifty-Nine Lakh Fifty-One Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506974152229699 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, If the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, opurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Sale

89/2

UTRI -> SBINRS20240800 944192

Executive Engineer  
Tohana W/S Division  
TOHANA



**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECONGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006.**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

**TITLE OF THE CASE/PROJECT :** Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, 17.69 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana for Fatehabad District/Forest Division falls within jurisdiction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 village(s) in Fatehabad District(s).

It is certified that the Forest Land proposed to be diverted is plantation which was notified as "Forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

*Zhu*  
Divisional Forest Officer  
Fatehabad Forest Division  
Fatehabad

*[Signature]*  
District Collector  
Fatehabad  
Signature  
District Collector,  
Fatehabad. (with Seal)

*[Signature]*

## Undertaking

**Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, & 17.79 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana.**

Online Proposal No. -FP/HR/Canal/152229/2022.

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति

अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कटाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- v. यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- vi. यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- vii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- viii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।
- x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टॉफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे कर्म संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 / एन0वीडब्ल्यू0एल0 / एफ0ए0सी0 / आर0ई0सी0 की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ ओवर पास उपलब्ध करवायेगी।



- xiv. यदि आवश्यक होगा तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xv. कुड़ा कर्कट निपटान योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xvi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xviii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।
- xix. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

  
Executive Engineer  
Adampur W/S Division  
HISAR



“हर खेत को पानी”

O/o Executive Engineer,  
Adampur W/S Division, Hisar

Ph. No. 01662-230030  
E-mail: xenawsdnhsr@gmail.com

## UNDERTAKING

**Proposal No.**  
**Date of Proposal**


FP/HR/Canal/152229/2022  
09.02.2022

**Full titled of the project:**

Diversion of 33.71 Ha of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 under Forest Division District Hisar, District Jind and District Fatehabad.

- (i) इस मण्डल के पास अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

Place: Hisar  
Date: 18.11.2024

  
Executive Engineer  
(Signature of User Agency)  
Office Seal  
Adampur W/S Division  
HISAR



# कार्यालय

वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल हिसार

हवाई अड्डा रोड़, नजदीक मीलगेट, हिसार-01662-259232(का०)Mail id-dfohisar.t@gmail.com

क्रमांक : 1858

दिनांक : 25/2/24

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकूला।

विषय :- Diversion of 33.71 ha. (6.04 ha (now in 5.69 Ha.) in Jind Division, 16.91 ha (now in 17.79 ha.) in Hisar Division and 10.76 ha (now in 10.23 ha.) in Fatehabad Division).of forest land in favour of Executive Engineer, Adampur W/S Division, Hisar for construction of Nuclear Power Plant at Village Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad on old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling, under forest Division & Distt. Hisar Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/CANAL/152229/2022-0-0-0-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको उक्त प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा जमा करवाई गई राशि की रसीद, (कुल राशि 75951395 रु० जिसमें मण्डल, हिसार की सी०ए० स्कीम अनुसार राशि 39113793 रु० जो उक्त राशि में शामिल है) अण्डरटैकिंग, जिलाधीश, हिसार से प्राप्त एफ०आर०ए० प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा वन मण्डल अधिकारी, हिसार की अण्डरटैकिंग इस पत्र के साथ आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंगन भेजी जाती है।

सलंगन/उपरोक्त


वन मण्डल अधिकारी, (क्षे०)  
हिसार।

## प्रमाण पत्र

Diversion of 33.71 ha. (6.04 ha (now in 5.69 Ha.) in Jind Division, 16.91 ha (now in 17.79 ha.) in Hisar Division and 10.76 ha (now in 10.23 ha.) in Fatehabad Division) of forest land in favour of Executive Engineer, Adampur W/S Division, Hisar for construction of Nuclear Power Plant at Village Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad on old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling, under forest Division & Distt. Hisar Haryana.

**Online Proposal No. FP/HR/CANAL/152229/2022**

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।

  
वन मण्डल अधिकारी, (क्षे0)  
हिसार।

## Undertaking

**Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, & 17.79 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana.**

Online Proposal No. -FP/HR/Canal/152229/2022.


यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयाकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-11 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-


- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- v. यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- vi. यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- vii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- viii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।
- x. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे कर्म संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 / एन0वीडब्ल्यू0एल0 / एफ0ए0सी0 / आर0ई0सी0 की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/ वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ ओवर पास उपलब्ध करवायेगी।



- xiv. यदि आवश्यक होगा तो प्रयोक्ता ऐजेन्सी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xv. कुड़ा कर्कट निपटान योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xvi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xviii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।
- xix. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

  
Executive Engineer  
Adampur W/S Division  
HISAR

AGENCY COPY



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER ADAMPUR WATER SERVICES DIVISION HISAR
Application No.	74152229699
MoEF/SG File No.	9-HRC135-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Executive Engineer Adampur water services Division Hisar canal colony Hisar Hisar
Amount(in Rs)	75951395/-


Amount in Words : Seven Crore Fifty-Nine Lakh Fifty-One  
Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506974152229699 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

\* This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER ADAMPUR WATER SERVICES DIVISION HISAR
Application No.	74152229699
MoEF/SG File No.	9-HRC135-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Executive Engineer Adampur water services Division Hisar canal colony Hisar Hisar
Amount(in Rs)	75951395/-

Amount in Words : Seven Crore Fifty-Nine Lakh Fifty-One  
Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506974152229699 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

\* This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference  
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank,  
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Executive Engineer  
Tohana W/S Division  
TOHANA

UTR! → SBINR520240800944192




**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL  
FOREST DEWLLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT, 2006**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

**TITLE OF THE CASE/PROJECT:** Diversion of 17.79 Ha. of Forest land in favour of Executive Engineer, Adampur Water Service Division, Hisar for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Village Gorakhpur through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780, District Hisar under forest division and district Hisar, Haryana. (Purpose for diversion of forest land) in Hisar District/ Forest Division falls within jurisdiction of Old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 Village Gorakhpur, Range Hisar Tehsil and Distt. Hisar.

It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the census-2011.

  
Divisional Forest Officer  
Hisar Forest Division  
HISAR

  
Signature  
Deputy Commissioner  
HISAR  
(Full name and official seal of the District Collector)

# वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल हिसार हवाई अड्डा रोड़, नजदीक मीलगेट, हिसार


## Undertaking

Diversion of 33.71 ha. (5.69 ha. In Jind division, 17.79 ha. In Hisar division & 10.23 ha. In Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana. (Online Proposal no. FP/HR/Canal/152229/2022)-reg.

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेन्सी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-1 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- iii. सी.ए. योजना के अनुसार, 35580 पौधे लगाकर, 35.58 हेक्टेयर degraded वन भूमि कम्पार्टमेंट न. H43P12, Rewari Bhatinda Rly. Line KM 165-184 L&R जिला-हिसार पर सी.ए. किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।
- iv. यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।
- v. भौतिक लक्ष्य एवं बजट नोडल अधिकारी द्वारा अलाट करने उपरांत पौधारोपण करवाने सम्बन्धी कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी।
- vi. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।
- vii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- viii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVP की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVP की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेन्सी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- ix. इस प्रस्ताव को 99 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके उपरान्त यह अनुमति भारत सरकार से करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि जो भी कम हो के सह समाप्त होगी।
- x. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पहुंच मार्ग (Entry/ Exit or Deceleration/ Acceleration) विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी व्यापारिक उपयोग नहीं किया जावेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेन्सी साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाने व साथ लगते वन और वन भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न करने हेतू बाध्य होगी।
- xii. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करने हेतू बाध्य होगी।
- xiii. प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित स्थल के ले आउट प्लान को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं बदलने हेतू बाध्य होगी।
- xiv. प्रयोक्ता एजेन्सी क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतू समय-2 पर लगाई गई शर्तों की अनुपालना हेतू बाध्य होगी।
- xv. यदि आवश्यक हुआ तो प्रयोक्ता एजेन्सी को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- xvi. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।

  
वन मण्डल अधिकारी, (क्षो),  
हिसार।



“हर खेत को पानी”

O/o Executive Engineer,  
Adampur W/S Division, Hisar

Ph. No. 01662-230030  
E-mail: xenawsdnhsr@gmail.com

## UNDERTAKING

**Proposal No.**  
**Date of Proposal**


FP/HR/Canal/152229/2022  
09.02.2022

**Full titled of the project:**

Diversion of 33.71 Ha of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 under Forest Division District Hisar, District Jind and District Fatehabad.

- (i) इस मण्डल के पास अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

Place: Hisar  
Date: 18.11.2024

  
Executive Engineer  
(Signature of User Agency)  
Office Seal  
Adampur W/S Division  
HISAR




**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER  
TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST  
RIGHTS) ACT, 2006**

(Certificate to be given by the concerned Deputy Collector).

**TITLE OF THE CASE PROJECT:** Diversion of 33.71 hect. (5.69 hect instead of 6.04 hect. In Jind Division, 16.91 hect. (now 17.79 ha) in Hisar Division and 10.76 (now 10.23 hect.) hect. in Fatehabad Division of Forest land in favour of Executive Engineer, Aadampur W/s Division Hisar for Construction of Nuclear Power Plant at village Gorakhpur on Old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division and District Jind (Haryana).

Proposal No. FP/HR/Canal/1522-29/2029

It is certified that the forest land proposed to be diverted in plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and is located in villages having no record population of Scheduled Tribes, as per the Census 2001 and

  
Divisional Forest Officer,  
Jind.

  
Deputy Commissioner,  
Jind  
(Full name and official seal of the District Collector)

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, जीन्द

337

पुराना हांसी रोड, नजदीक बीड बड़ा वन, वन कम्प्लैक्स, जीन्द

दूरभाष नं० 01681 255458

E-Mail Address: [ofjind2229@rediffmail.com](mailto:ofjind2229@rediffmail.com)

क्रमांक: F-I-258/ 2014

/पटवार

दिनांक 29-02-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,  
पश्चिमी परिमण्डल,  
हिसार।

Sub :

Diversion of 33.71 hect. (5.69 hect in Jind Division, 17.79 hect in Hisar Division & 10.23 hect in Fatehabad Division) of forest land for Construction of Channel for supply 180 Cs Water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil and District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD RD 388500 to 424780 under Forest Division and District Jind, Hisar and Fatehabad, Haryana. Online Proposal No. FP/HR/Canal/152229/2022.

वन महानिरीक्षक, केन्द्रीय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ का पत्र क्रमांक 9-एच0आर0बी0 135/2022-CHA दि० 13/10/2023

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि सन्दर्भित पत्र द्वारा केस की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी। प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण की केस से सम्बन्धित तीनों वन मण्डल की इक्ट्टी 75951395/-रु० की राशि (जीन्द वन मण्डल सी०ए० 6700015 + 7721956 = 14421971/-) Union Bank of India Lodhi Road, New Delhi के Account No. 1506974152229699 में जमा करवाकर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्तों एवं हिदायतों, पैमेन्ट चालान यू०टी०आर० नं० SBINR520240800044192 व एफ०आर०ए० सर्टीफिकेट सहित पूर्ण कम्पलाईन्स रिपोर्ट दिनांक 29.02.2024 को पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।

प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा केस में वाधित 1782 वृक्ष वाल्युम 1068.22 घ०मी० को शीघ्र कटवाने का अनुरोध किया गया है केस सम्बन्धी कार्य शुरू किया जा सके। हरियाणा सरकार के आदेश दिनांक 22.06.2023 अनुसार उक्त कटाई की स्वीकृति प्रदान करने में आपका कार्यालय सक्षम है। अतः उक्त स्थिति के नव्यनज आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया प्रस्ताव में वाधक 1782 वृक्ष वाल्युम 1068.22 घ०मी० की कटाई की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का कष्ट करे।

वन मण्डल अधिकारी,  
जीन्द।

29/2/24  
29/2/24

दिनांक: 29-02-2024

एक प्रति निम्नलिखित को :-

- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एफ०सी०ए०, हरियाणा, पंचकूला को भेजकर अवगत करवाया जाता है कि प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण की केस से सम्बन्धित तीनों वन मण्डल की इक्ट्टी 75951395/-रु० की राशि (जीन्द वन मण्डल सी०ए० 6700015+7721956 = 14421971/-) Union Bank of India Lodhi Road, New Delhi के Account No. 1506974152229699 में जमा करवाकर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्तों एवं हिदायतों, पैमेन्ट चालान यू०टी०आर० नं० SBINR520240800044192 व एफ०आर०ए० सर्टीफिकेट सहित पूर्ण कम्पलाईन्स रिपोर्ट दिनांक 29.02.2024 को पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है। अतः बिना सक्षम अधिकारी के प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्थल न बदलने सम्बन्धी निम्नहस्ताक्षरी के हस्ताक्षरयुक्त अण्डरटेकिंग, निर्धारित प्रपत्र व प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा कम्पलाईन्स रिपोर्ट के रूप में अपवलोड किए गए प्रपत्र की प्रति सलंगन भेजते हुए अनुरोध है कि कृपया केस की फाईनल स्वीकृति शीघ्र जारी करने/करवाने की अनुकम्पा करें।
- कार्यकारी अभियन्ता, आदमपुर जल सेवाएं मण्डल, हिसार को सूचनार्थ प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,  
जीन्द।

29/2/24

PROFORMA

1. State/ Distt. /Forest Division to which the proposal relates. Haryana/ Jind / Jind Division
2. Name of User Agency,nature of Proposal Diversion of 33.71 hect. (5.69 hect in Jind Division, 17.79 hect in Hisar Division & 10.23 hect in Fatehabad Division) of forest land for Construction of Channel for supply 180 Cs Water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil and District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD RD 388500 to 424780 under Forest Division and District Jind, Hisar and Fatehabad, Haryana.  
Proposal No. FP/HR/Canal/152229/2022.
3. Whether original, or extension Original
4. If extension of lease, pl.clarify if proposal involves additional forest area, and if so specify. -
5. Date of 1st stage Clearance 13-10-2023
6. Amount realized: (in Rs.)
- |  |                    |
|--|--------------------|
| (a) Compensatory Afforestation   | 4515126.00         |
| (b) Addl. CA Scheme Charges  | 0.00               |
| (c) Penalty for violation position   | 0.00               |
| (d) Survey & Demarcation   | 0.00               |
| (e) Soil Moisture Conservation Charges   | 0.00               |
| (f) Additional Charges for (Equipment for Silvi cultural operation)                      | 0.00               |
| (g) Net Present Value:   | 7721956.00         |
| (h) Any other charges/Levies (Pl specify): (Felling charges/ charges of effected plants) | 1281864.00         |
| (i) Fencing/Supervisory/Overhead charges   | 0.00               |
| (j) Supervisory charges 10% of CA Scheme   | 903025.00          |
| <b>G. Total</b>  | <b>14421971.00</b> |
7. Details of Bank Drafts( Bank, Draft No. Date & Amt), head wise against items indicated in paragraph 7 above. Amount deposit Union Bank of India Lodhi Road New Delhi in Account No. 1506974152229699  
Amt. Rs. 75951395 / -  
UTR No. SBINR520240800044192
8. Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance: Amt. deposited through Union Bank of India,Lodhi Road NewDelhi Account No. 1506974152229699  
Amt. Rs. 75951395 / -  
UTR No. SBINR520240800044192
9. Bank (Corporation Bank, Lodhi Complex/ Union ) Bank of India Sunder Nagar) in which deposited, with date of deposition Union Bank of India Lodhi Road, New Delhi
10. Any Other remarks Nil

Divisional Forest Officer,  
Jind


29/12/24  
29/12/24

ub: Diversion of 33.71 hect. (5.69 hect in Jind Division, 17.79 hect in Hisar Division & 10.23 hect in Fatehabad Division) of forest land for Construction of Channel for supply 180 Cs Water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil and District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD RD 388500 to 424780 under Forest Division and District Jind, Hisar and Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Canal/152229/2022.

### UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि केस में स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण व अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्थल D.J. Railway Line KM 143 to 148.8 and D.J. Railway Line KM 111 to 114 L&R को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा ।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
जीन्द ।



**“हर खेत को पानी”**

O/o Executive Engineer,  
Adampur W/S Division, Hisar

Ph. No. 01662-230030  
E-mail: xenawsdnhsr@gmail.com

## UNDERTAKING

**Proposal No.**  
**Date of Proposal**


FP/HR/Canal/152229/2022  
09.02.2022

**Full titled of the project:**

Diversion of 33.71 Ha of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 under Forest Division District Hisar, District Jind and District Fatehabad.

- (i) इस मण्डल के पास अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

Place: Hisar  
Date: 18.11.2024

  
Executive Engineer  
(Signature of User Agency)  
HISAR  
Office Seal \_\_\_\_\_



"एक देश की पानी"

Dir. Executive Engineer,  
Water W & Irrigation Division

Ph. No. 01662-230030

Email: [water@haryana.gov.in](mailto:water@haryana.gov.in)

## Undertaking

Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, & 17.79 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 389500 to 424700 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana.

Online Proposal No. -FP/HR/Canal/152229/2022.


यह प्रस्तावित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कटाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु ऑडिटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-11 अनुपादन से पहले प्रस्तुत किया जाना है-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले बाघक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NVF की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NVF की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- v. यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी/विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।
- vi. यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- vii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भी शिथिल नहीं लगाया जायेगा।
- viii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कटित भूमि सांख्यिकी बँचाने उचितभोज किये जायेगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अंततः दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परिष्कार के कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।



- x. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य-स्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः दैनिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दवाब से बचाया जा सकेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेन्सी राज्य के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xii. स्थानतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे कर्म संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xiii. प्रयोक्ता एजेन्सी सी०डब्ल्यू०एल०डब्ल्यू० / एन०वीडब्ल्यू०एल० / एफ०ए०सी० / आर०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवर पास उपलब्ध करवायेगी।
- xiv. यदि आवश्यक होगा तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xv. कुछ कर्कट निपटान योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xvi. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।
- xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।
- xviii. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।
- xix. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

  
Executive Engineer  
Adampur W/S Division  
(Signature of User Agency)  
Office Seal HISAR

Place: Hisar  
Date: 18.11.2024

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, जीन्द  
पुराना हांसी रोड, नजदीक बीड बडा बन, वन कम्पलैक्स, जीन्द

दूरभाष नं० 01681 255458

E.Mail Address: [dfolind2009@rediffmail.com](mailto:dfolind2009@rediffmail.com)

## Undertaking

**Diversion of 33.71 Ha. (5.69 ha. in Jind division, & 17.79 ha. in Hisar division & 10.23 ha. in Fatehabad division) of Forest Land for construction of channel for supply 180 Cs water to Nuclear Power Plant at Gorakhpur, Tehsil & District Fatehabad through old abandoned Sirsa Branch from RD 388500 to 424780 falling under Forest Division & District Hisar, Jind and Fatehabad, Haryana.**

**Online Proposal No. -FP/HR/Canal/152229/2022.**

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयाकित्त प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-11 अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. काटे जाने वाले वाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा।
- iii. सी.ए. योजना के अनुसार DJ Railway Line Km 143 to 148.8 and DJ Railway Line Km 111 to 114 L&R Side जिला-जीन्द पर सी.ए. का कार्य किया जाएगा और धन उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।



- iv. यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदला जाएगा।
- v. राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की KML files को अपलोड करेगी।
- vi. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- vii. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।
- viii. यह सुनिश्चित किया जाता है कि स्थानांतरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तानांतरित नहीं किया जाएगा।
- ix. यह सुनिश्चित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान को नहीं बदला जाएगा।
- x. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा परियोजना के कार्य निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जायेगा।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्य स्थल पर कार्यरत स्टॉफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवायेगी ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सकेगा।
- xiv. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजनाओं के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xv. स्थानंतरित वन भूमि की सीमाएं आगे तथा पीछे लिखे कर्म संख्या वाले 4 फीट उंचे सीमेंट के खंभों द्वारा चिह्नित की जायेगी।
- xvi. प्रयोक्ता एजेंसी सी0डब्ल्यू0एल0डब्ल्यू0 / एन0वीडब्ल्यू0एल0 / एफ0ए0सी0 / आर0ई0सी0 की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवर पास उपलब्ध करवायेगी।
- xvii. यदि आवश्यक होगा तो प्रयोक्ता एजेन्सी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम-1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

कुड़ा कर्कट निपटान योजना के अनुसार किया जायेगा।

ix. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत Diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली Lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।

xx. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।

xxi. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि प्रस्ताव पर लागू होंगे तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।

xxii. किसी भी उक्त शर्तों की पालना न करने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की उल्लंघना होगी तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के Handbook of FCA, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.21 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

  
वन मण्डल अधिकारी,  
जीन्द।

**NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date: 10-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER ADAMPUR WATER SERVICES DIVISION HISAR
Application No.	74152229099
MoEF/SG File No.	9-HRC135-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Executive Engineer Adampur water services Division Hisar canal colony Hisar/Hisar
Amount (In Rs)	75951395/-

Amount in Words: Seven Crore Fifty-Nine Lakh Fifty-One Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506974152229099 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

**NEFT/RTGS CHALLAN for CAMPA Funds**

Date: 10-01-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER ADAMPUR WATER SERVICES DIVISION HISAR
Application No.	74152229099
MoEF/SG File No.	9-HRC135-2022-CHA
Location.	HARAYANA
Address:	Executive Engineer Adampur water services Division Hisar canal colony Hisar/Hisar
Amount (In Rs)	75951395/-

Amount in Words: Seven Crore Fifty-Nine Lakh Fifty-One Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506974152229099 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: [fcslr@unionbankofindia.bank](mailto:fcslr@unionbankofindia.bank), [opurse@unionbankofindia.bank](mailto:opurse@unionbankofindia.bank), [ubln0903710@unionbankofindia.bank](mailto:ubln0903710@unionbankofindia.bank)

Executive Engineer  
Tohana W/S Division  
TOHANA

UTRI -> SBINRS20240800944192